छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर
जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

<u>शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के सोशल मीडिया में विज्ञापन हेतु डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के इम्पैनलमेंट हेतु रूचि की अभिव्यक्ति प्रपत्र नियम एवं शर्तें</u>

<u>पृष्ठभूमि</u> :– छत्तीसगढ़ राज्य और देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा वर्तमान में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर सक्रिय है यह संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ रही है। लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को समाचार, सूचना एवं मनोरंजन के लिये इस्तेमाल करते हैं। मोबाईल फोन एवं इंटरनेट की सर्वव्यापकता के कारण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की पहुंच बढ़ गयी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों की बढ़ती संख्या के कारण यह प्लेटफॉर्म जनसंचार एवं आउटरीच के सशक्त माध्यम बन गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बड़ी जनसंख्या तक पहुंच आसान बनाते हैं। इससे कुशल और प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु विज्ञापन जारी करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के इम्पैनलमेंट हेतु रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित किए जा रहे हैं।

<u>नियम एवं शर्तें–</u>

1. छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का फेसबुक, गूगल, यू–ट्यूब, इंस्टाग्राम ट्विटर एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर विज्ञापन हेतु योग्य एवं अनुभवी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों के इम्पैनलमेंट हेतु रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से आशय सोशल मीडिया में विज्ञापन का कार्य करने वाली एजेंसी से है।
2. डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी द्वारा सोशल मीडिया में छत्तीसगढ़ संवाद के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसमें विज्ञापन की वास्तविक दर, विज्ञापन का संचालन, मॉनिटरिंग, एनालिसिस एवं रिपोर्टिंग शामिल होगा।
3. एजेंसी द्वारा सोशल मीडिया में प्रचार–प्रसार हेतु टेक्स्ट, फोटो विज्ञापन, वीडियो विज्ञापन, Corousel से विज्ञापन unskippable में वीडियो विज्ञापन, संग्रह विज्ञापन आदि के लिए छत्तीसगढ़ संवाद को कंटेन्ट के संबंध में मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जाएगा।
4. सोशल मीडिया में कैम्पेन विभिन्न पैरामीटर पर जारी किये जा सकेंगे। प्रमुख पैरामीटर निम्नानुसार हैं– impression की संख्या, click की संख्या, view की संख्या, followers की संख्या, engagement की संख्या तथा अन्य पैरामीटर।
5. सोशल मीडिया में विज्ञापन की दर निरंतर गतिशील होने के कारण इंपैनलमेंट के पश्चात् निश्चित साईज के फोटो विज्ञापन, निश्चित अवधि के वीडियो विज्ञापन, निश्चित शब्दों के टेक्स्ट विज्ञापन आदि के लिए इम्पैनल्ड फर्मों से सोशल मीडिया (फेसबुक, टिवट्र, गुगल एड आदि) में विज्ञापन हेतु तात्कालिक तौर पर बिंदु क्रमांक–04 में उल्लेखित पैरामीटर के आधार पर ऑनलाइन दर मंगाए जाएंगे। इंपैनल्ड एजेंसी में से न्यूनतम दर वाले डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को कार्य दिये जाने पर विचार किया जाएगा।
6. सोशल मीडिया में टेक्स्ट, फोटो विज्ञापन, वीडियो विज्ञापन, Corousel विज्ञापन, unskippable वीडियो विज्ञापन, संग्रह विज्ञापन आदि जारी किए जाएंगे।
7. इंपैनल्ड एजेंसी द्वारा कार्यनिष्पादन रिपोर्ट 50 रूपये के स्टॉम्प में शपथपूर्वक प्रस्तुत किया जायेगा। एजेंसी द्वारा प्रपत्र में कार्य व दिनांकवार क्रियान्वित गतिविधि की संख्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ संवाद में कम्प्यूटर एवं आईटी विशेषज्ञों द्वारा कार्य निष्पादन रिपोर्ट का सत्यापन किया जाएगा।
8. डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी द्वारा भुगतान के लिए कोई भी दावा गलत जानकारी के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है तो संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई की जाएगी।

9. एजेंसी के पास सोशल मीडिया फेसबुक, गूगल, यू–ट्यूब, इंस्टाग्राम आदि में शासकीय/निजी एजेंसियों के विज्ञापन जारी करने का अनुभव होना अनिवार्य है, साक्ष्य हेतु कम से कम 05 शासकीय विभाग/निजी संस्था से जारी कार्यादेशों/कार्य संपादन प्रमाण पत्र की प्रतियां संलग्न करना होगा।

10. टेक्निकल बिड लिफाफा में अमानत राशि रू. 1,00,000/– (बिना ब्याज के वापसी योग्य) एवं निविदा प्रपत्र लागत राशि रू. 2360/– (वापसी योग्य नहीं) की छत्तीसगढ़ संवाद रायपुर में देय डी.डी. एवं अन्य वांछित दस्तावेज भरकर प्रस्तुत करना होगा।

11. निविदा प्रपत्र छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट www.cg.nic.in/samvad से डाउनलोड किया जाना है एवं निर्धारित निविदा प्रपत्र शुल्क का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट टेक्निकल बिड के साथ जमा करना अनिवार्य है।

12. संबंधित विभाग से देयकों का भुगतान छत्तीसगढ़ संवाद को प्राप्त होने के बाद ही एजेंसी के देयकों का भुगतान किया जायेगा। कार्य हेतु किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। परन्तु एजेंसी को जी.एस.टी. अधिनियम के तहत नियत तिथि के अंदर जी.एस.टी. भुगतान कर जी.एस.टी. रिटर्न जमा करना होगा।

13. निविदा प्रपत्र नवा रायपुर अटल नगर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय के द्वितीय तल के कमरा नंबर GF10 में दिनांक 15/02/2021 को अपरान्ह 03:00 बजे तक जमा किया जा सकता है। निर्धारित तिथि एंव समय के पश्चात् प्राप्त निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं मूलतः वापस किया जाएगा।

14. दिनांक 30/01/2021 को दोपहर 12:00 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय भवन के बैठक कक्ष में प्री–बिड निर्धारित की गई है।

15. यह पंजीकरण (इम्पैनलमेंट) निविदा लागू होने की तिथि से आगामी 01 वर्ष तक के लिए होगी। इम्पैनलमेंट अवधि में 01 वर्ष की वृद्धि का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।

16. एजेंसी को जीएसटी पंजीयन प्रमाण–पत्र, पैन कार्ड, वित्तीय वर्ष 2019–20 की जीएसटी रिटर्न्स, वित्तीय वर्ष 2018–19 अर्थात् कर निर्धारण वर्ष 2019–20 का आयकर रिटर्न की प्रतियां प्रस्तुत करना होगा।

17. सी.ए. द्वारा सत्यापित डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे–फेसबुक, टिवटर, गुगल एड, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि में विज्ञापन का वित्तीय वर्ष 2019–20 का न्यूनतम 20 लाख रूपए के टर्नओव्हर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। सी.ए. द्वारा सत्यापित टर्नओव्हर प्रमाण–पत्र में उक्त कार्यों का टर्नओव्हर उल्लेखित होना अनिवार्य है। टर्नओव्हर में उक्त के अलावा अन्य किसी कार्यों के टर्न ओव्हर को मान्य नहीं किया जायेगा।

18. इच्छुक संस्थाएं अपने प्रस्ताव सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत करेंगी लिफाफे के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हेतु रूचि की अभिव्यक्ति, संस्था का नाम तथा पूरा पता मोबाईल नम्बर स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक होगा।

19. सूचीबध्द (इम्पैनल्ड) फर्मों को कार्य आबंटन का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।

20. इम्पैनलमेंट में चयन किया जाना कार्य आबंटन के लिए बंधनकारी नहीं होगा। इम्पैनलमेंट किए जाने का अर्थ कार्यादेश देने की प्रतिबद्धता नहीं होगी।

21. निविदा स्वीकृत अथवा निरस्त करने एवं निविदा के नियम शर्तों को शिथिल करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। निविदा प्रक्रिया के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा शासन हित में आवश्यकतानुसार शर्त निर्धारित किया जा सकता है, जो कि निविदाकर्ता को मान्य करना होगा।

22. एजेंसी भारत सरकार/राज्य सरकार/या अन्य किसी शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थान की काली सूची में न हों। यदि वह आगे कभी निलंबित/काली सूची में हुआ तो इसकी सूचना तीन दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ संवाद को देगा।

23. एजेंसी द्वारा सोशल मीडिया माध्यमों के संचालन में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों, नियमों, प्रचलित एवं भविष्य में निर्मित होने वाले कानूनों का पालन करेगा।

24. निविदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि निविदाकार को उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तें मान्य हैं।

25. किसी भी वाद–विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर होगा।

26. **आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता):–** किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलेशन एक्ट, 1996 के अधीन संपादित होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
नवा रायपुर अटल नगर

–––00–––

<u>घोषणा पत्र</u>

मैं .... संस्था .... छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा जारी रूचि की अभिव्यक्ति के नियम एवं शर्तों का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। हमारे द्वारा सभी देय कर, जीसटी का भुगतान किया गया है। हमारे द्वारा प्रस्तुत आवेदन/रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव में प्रस्तुत कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या गलत पायी जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। इस बारे में मेरे अथवा संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जाएगी। हमारे द्वारा जमा अमानत राशि को छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा राजसात (Forfited) की जा सकती है। छत्तीसगढ़ संवाद की उपरोक्त से संबंधित सभी नियम एवं शर्तें हमें स्वीकार है।

स्थान–
दिनांक–

हस्ताक्षर
पुरा नाम एवं पता
संस्था का नाम सील

<u>शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के सोशल मीडिया में विज्ञापन हेतु डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के इम्पैनलमेंट हेतु रूचि की अभिव्यक्ति में शामिल होने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप</u>

निविदा क्रमांक .... दिनांक ....

फार्म का मूल्य रू. 2,360/– (वापसी योग्य नहीं)

1. संस्था का नाम :– ....
2. संस्था का रजिस्टर्ड पूर्ण पता :– ....
3. स्थानीय पता (छत्तीसगढ़ का) ....
....
4. दूरभाष एवं मोबाईल नम्बर ....
5. फैक्स नम्बर ....
6. ई–मेल ....
7. संस्था के निर्माता का नाम ....
एवं पूरा पता ....
....
8. संस्था एकल स्वामित्व पर आधारित है अथवा प्राईवेट लिमिटेड फर्म है (अगर प्रा.लि. है तो अधिकृत पत्र एवं रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति यदि पार्टनरशिप है तो रजिस्ट्रेशन तथा इनमें शामिल साझेदारों की पार्टनरशीप डीड की प्रमाणित प्रति) ज्वाईन्ट वेन्चर/फ्रेन्चाईजी मान्य नहीं होगा। ....
09. संस्था का पेन नम्बर ....
10. संस्था का जीएसटी पंजीयन क्रमांक ....
11. अमानत राशि (बिना ब्याज के वापसी योग्य) की डिमाण्ड ड्राफ्ट क्रमांक एवं बैंक का नाम शाखा सहित ....
12. वित्तीय वर्ष 2018–19 अर्थात् कर निर्धारण वर्ष 2019–20 की आयकर रिटर्न एवं इन्कम कम्प्यूटेशन की छायाप्रति ....
13. संस्था का डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे–फेसबुक, टिवट्र, गूगल, यू–ट्यूब, इंस्टाग्राम आदि से संबंधित कार्य का वित्तीय वर्ष 2019–20 का टर्नओव्हर का चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें। (प्रमाण पत्र में उक्त कार्यों से संबंधित टर्न ओव्हर होने का उल्लेख होना आवश्यक है।) ....
14. सोशल मीडिया– फेसबुक, गूगल एड, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि में शासकीय विभाग/निजी संस्था के लिए जारी किये गये विज्ञापन के कार्यादेश की प्रति संलग्न करें। ....
15. आपके संस्था का वित्तीय वर्ष 2019–20 का जीएसटी रिटर्न्स की प्रतियां संलग्न करें।

नोट :– फार्म में अंकित तत्संबंधी प्रमाण–पत्रों आदि की छाया प्रतियां क्रमानुसार ही आवेदन के साथ संलग्न किये जाये।

स्थान .... पूरा नाम एवं पता
दिनांक .... संस्था की पदमुद्रा